उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में दो दिवसीय साइबर सुरक्षा **कार्यशाला** का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

NeGD द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- **राज्य क्षमता निर्माण योजना** का हिस्सा, NeGD का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा लचीलेपन को मज़बूत करने के लिये बनाया गया है।
- यह कार्यक्रम **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO)** और उप CISO को साइबर ज़ोखिमों को प्रभावी ढंग से संभालने और कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण कौशल से लैस करता है।
  - NeGD की **स्थापना 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई थी।
  - इसका उद्देश्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों में **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और उसे गति प्रदान करना** था।
- **उद्देश्य:**
  - **साइबर सुरक्षा जागरूकता:** साइबर सुरक्षा मुद्दों, साइबर खतरों और ई-गवर्नेंस ढाँचे की समझ बढ़ाना।
  - **साइबर लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): साइबर लचीलापन पारिस्थितिकी तंत्र** और साइबर सुरक्षा में AI की भूमिका के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाना।
  - **साइबर सुरक्षा केंद्र:** राज्य स्तरीय **ई-गवर्नेंस** प्रणालियों की सुरक्षा के लिये साइबर सुरक्षा केंद्र के महत्त्व पर शिक्षित करना।
  - **डेटा और एप्लिकेशन सुरक्षा: डेटा सुरक्षा** (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023) एप्लिकेशन सुरक्षा और एंडपॉइंट सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  - **संकट प्रबंधन:** प्रभावी घटना प्रतिक्रिया के लिये साइबर संकट प्रबंधन योजना (CCMP) विकसित करने में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना।
  - **पहचान एवं पहुँच प्रबंधन:** सरकारी डिजिटल प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिये पहचान एवं पहुँच प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना।

राज्य क्षमता निर्माण योजना:

- MeitY के तहत NeGD ने देश भर के राज्य नेताओं, CISO और अधिकारियों के लिये **क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की एक शृंखला** शुरू की है।
- ये कार्यशालाएँ **साइबर खतरों के प्रबंधन**, सुरक्षित IT ढाँचे को अपनाने और **डिजिटल शासन को मज़बूत करने के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण और सर्वोत्तम अभ्यास** प्रदान करती हैं।

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- इसका उद्देश्य **भारत में व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना** तथा ऐसे डेटा के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण को विनियमित करना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - अनुपालन लागू करने के लिये **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की** स्थापना की गई।
  - डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण के लिये **स्पष्ट सहमति** की आवश्यकता होती है।
  - **डेटा न्यासियों** को उचित सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cybersecurity-workshop-in-uttar-pradesh